

प्रेषक

आयुक्त  
देवीपाटन मण्डल  
गोण्डा।  
सेवा में

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद  
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र  
प्रीति बिहार, नई दिल्ली।

पत्रांक:- सी०वी०एस०ई० /

/2017-18 दिनांक-22/6/17

विषय:- आदिशक्ति मौं पाटेश्वरी पब्लिक स्कूल, तुलसीपुर, बलरामपुर को सी०वी०एस०ई० बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण दिये जाने विषयक।

महोदय

उपर्युक्त विषयक संयुक्त शिक्षा निदेशक देवीपाटन मण्डल शिक्षा भवन फैजाबाद द्वारा प्राप्त आदिशक्ति मौं पाटेश्वरी पब्लिक स्कूल, तुलसीपुर, बलरामपुर को सी०वी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या 19/0/15-7-09-1(299)/2007 दिनांक-14 जुलाई 2009 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत गहित समिति के सदस्यों की संस्थुति एवं सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान की जाती है।

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कशया जायेगा।
2. विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थाना अनुसूचित जाति/जातिजाति के भेदाची वर्चों के लिए सुरक्षित रहें और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बोर्ड के विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
3. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है, तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन नई दिल्ली/कौरिल फार दी इण्डियन स्कूल सार्टिफिकेट इकाजामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा द्वारा प्रदत्त मान्यता राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
4. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
5. कर्मचारियों की सेवा शर्तों बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उ०मा०वि० के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध करायेंगे।
6. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
7. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
8. प्रतिबंधों को सोसाइटी के बाइलाज में समिलित किया जाये।

उक्त के अतिरिक्त विद्यालय के मानक के अन्तर्गत दिये परिशिष्ट-3 के कम 5.6 जो निम्नवत है:-

1. शिक्षक/कर्मचारी की अर्हता:-

विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षण कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता वही होगी जैसाकि यथारिति कौरिल फार दी इण्डियन स्कूल सार्टिफिकेट इकाजामिनेशन/सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन में वर्षित हो। सुख्यता: कक्षा-12 के प्रधानाचार्य किसी मान्यता प्राप्त



प्रबन्धल/मंत्री  
आदि शक्ति मौं पाटेश्वरी पब्लिक स्कूल  
तुलसीपुर-बलरामपुर

स्नातकोत्तर उपाधि तथा प्रशिक्षित होंगे। कक्षा-10 तक के प्रधानाध्यापक किसी मान्यता देशविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि तथा प्रशिक्षित होंगे। कक्षा-11 व 12 पढ़ाने वाले अध्यापक देश के स्नातकोत्तर होंगे जिसमें शिक्षण कार्य किया जाना हो। कक्षा-6 से 10 तक पढ़ाने वाले प्रक सम्बन्धित विषय के साथ स्नातक एवं प्रशिक्षित होने चाहिए। पूर्व प्राथमिक तथा कक्षा-1 से 05 शिक्षण के लिए हाईस्कूल जे०टी०सी०, बी०टी०सी० तथा इंटर के साथ सी०टी०, जे०टी०सी०, शी०सी० या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

## 2. वेतन् तथा सेवा शर्ते

२. वेतन तथा सेवा शर्ते  
प्रत्येक ऐसे विद्यालय के लिए सेवा शर्ते बनायी जायेगी जिनमें परिवीक्षा काल, रथायीकरण ग दण्ड के सम्बन्ध में विधि सम्मत प्रक्रिया का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही वकाश नियम, पेंशन, गेच्युटी, बीमा, पी०एफ० तथा अन्य कल्याणकारी योजना का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

विद्यालय के शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कम से कम वही वेतनमान तथा अन्य भत्ते ने दें जो राज्य सरकार के शासकीय/सहायता प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों को समय-समय पर दें जाते हैं, किन्तु किसी कारणवश विद्यालय की आय क्षमता इतनी न हो तो वेतन राज्य सरकार द्वारा नेहरूरित न्यूनतम वेतन से किसी भी दशा में कम नहीं होना चाहियें। उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त विद्यालय अन्य शर्तों को भी पूरा करेंगे।

नेहारित न्यूनतम वेतन से किसा भी दरा नहीं। अन्य शर्तों को भी पूरा करेंगे। उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है, अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या सिद्धिलत्तम घरनी जा रही है, तो शासनादेश संख्या: १९१८/१५-७-०९-०१ (299)/2007 दिनांक 14 जुलाई 2009 द्वारा गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

(P.M.) रामदेव (उद्यगराज) पिंडित निशाशक संप्रस्थिति सतीशक अलाभिकादि बनवासुर मण्डल  
 लक्ष्मीपाट्ट मण्डल (रोक्ति लुगाटमित्या) (एस०वी०एस०रागाराव)  
 मण्डलपुस्तक देवीपाटन मण्डल गोण्डा।

पृष्ठा नं. ३२ / २०१७-१८ तददिनांक।  
पृष्ठा नं. ३२ / २०१७-१८ तददिनांक।

- सचिव (भार्यमिक शिक्षा) उ०प्र० शासन लखनऊ।
  - शिक्षा निदेशक (मा०) उ०प्र० शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड लखनऊ।
  - जिलाधिकारी बलरामपुर।
  - संयुक्त शिक्षा निदेशक देवीपाटन मण्डल गोण्डा।
  - जिला विद्यालय निरीक्षक बलरामपुर।
  - निरीक्षण आग्ने भारतीय विद्यालय उ०प्र० लखनऊ।
  - प्रदंघक, आदिशक्ति मॉ पाटेश्वरी पब्लिक स्कूल, तुलसीपुर, बलरामपुर।



प्रवन्दका/भंडी  
आदि शक्ति भाँ पांडेश्वरी पक्षिका लूह  
तुलसीपुर-बलरामपुर

(उद्योग) निदेशक  
संयुक्त शिक्षा निदेशक  
देवीपाटन मण्डल  
शिक्षा भवन, फैजाबाद।

RD